पंचदश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.12.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री गजानन्द शाही, स०वि०स० श्री मनीष कुमार, स०वि०स०	''पटना जिलान्तर्गत फतुहा प्रखण्ड में ग्राम-मौजीपुर स्थित गंगा नदी के किनारे पर गंगा नदी थाना का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा 20 मई, 2011 को किया गया था । उद्घाटन के समय अंचलाधिकारी द्वारा एन०एच०-30 मौजीपुर से गंगा नदी थाना जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए कई घरों को चिन्हित किया गया । परन्तु किसी कारणवश रास्ता को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा कर गांव के बगल में निजी परती जमीन के रास्ते उद्घाटन करा दिया गया । अभी गंगा नदी जाने वाले रास्ते पर जमीन मालिकों द्वारा घर बना लिया गया है जिसके कारण रास्ता अवरूद्ध हो गया है । एन०एच०-30 मौजीपुर से गंगा नदी थाना जाने वाला रास्ता कहीं 15 फीट, कहीं 20 फीट चौड़ा है, जिसपर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके कारण मौजीपुर गंगा नदी थाना का पेट्रोलिंग जीप को गंगा नदी थाना के बजाए आधा किलोमीटर दूर मौजीपुर एन०एच०-30 पर रखना पड़ता है, फलत: थाना का कार्य संचालन में काफी कठिनाइयाँ होती हैं । अत: उक्त सड़क का एन०एच०-30 मौजीपुर से गंगा नदी थाना तक अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	राजस्व एवं भूमि सुधार

1	2	3	4
2.	श्री तार किशोर प्रसाद, स०वि०स०	"कटिहार विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत भवन निर्माण प्रमंडल, कटिहार के द्वारा कटिहार नगर निगम क्षेत्र के औफिसर्स कॉलोनी स्थित फुटानी चौक से मुंशी यादव कॉलोनी मोड़ तक विभागीय पथ का पी०सी०सी० कार्य किया गया था, लेकिन निर्माण काल के तुरन्त बाद सड़क गुणवत्ता के अभाव एवं घटिया सामग्री से निर्माण कराने के कारण जर्जर हो गयी । साथ ही कटिहार प्रखण्ड अन्तर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय, हपलागंज में प्लस टू भवन के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री से कार्य कराने के कारण दरवाजा एवं फर्श की हालत खराब हो गयी है । अतः उक्त दोनों निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों को सजा दिलाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	भवन निर्माण

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-34/14- 1957 / वि०स०, पटना, दिनांक- 24 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा भवन निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

नियाज 24.12.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-34/14- 1957 / वि०स०, पटना, दिनांक- 24 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

नियाज 24.12.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।